



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

☎ : 0141-2385027(O), E-Mail ID: rajpr.dsplan@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.4()परावि/आप्र/GPDP/2020-21/530


जयपुर, दिनांक: 01/10/2019

1. जिला कलक्टर,
जिला-झुंजरपुर, बांसवाडा, उदयपुर, राजसमन्द,
पाली, सिरोही, चित्तौडगढ एवं प्रतापगढ
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद- झुंजरपुर, बांसवाडा, उदयपुर, पाली,
राजसमन्द, सिरोही, चित्तौडगढ एवं प्रतापगढ

विषय:- जन योजना अभियान (सबकी योजना सबका विकास) ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 के तहत पेसा (PESA) क्षेत्र की राजस्व ग्रामवार तैयार विकास योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में सम्मिलित करने के संबंध में

जैसा कि आपको विदित है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक जन योजना अभियान (सबकी योजना सबका विकास) ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) चलाया जा रहा है। इस संबंध में ध्यान में लाया गया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा पेसा (PESA) क्षेत्र में राजस्व ग्रामवार ग्राम सभाओं द्वारा तैयार विकास योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) 2020-21 के निर्माण हेतु पत्र क्रमांक 264 दिनांक 28.05.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार विभाग द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका "आपणी योजना आपणों विकास" वर्ष 2015 एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश 2018 के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के नियोजन हेतु आपके जिले की पेसा क्षेत्र में राजस्व ग्रामवार ग्राम सभाओं का आयोजन जन योजना अभियान दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 के तहत करवाकर विकास योजना का अनुमोदन कर, ग्राम पंचायतवार संकलित कर निर्माण किया जावे। राजस्व ग्रामवार अनुमोदित विकास योजना को ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी संशोधन के ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में सम्मिलित करवाना सुनिश्चित करें।


(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., जयपुर।
2. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना प्रकोष्ठ, जिला-समस्त।
3. राजस्थान आदिवाली अधिकार मंच, 56 पोनेरी उपवन गली नं.2
स्थापक नौराधा, जिला उदयपुर - 313001

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)